

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक— शिविरा/मा/हिनि/28129/विवाह/2019-20

दिनांक— 25-11-2019

समस्त संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग,
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक/प्रारंभिक)
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय)(माध्यमिक/प्रारंभिक)
समस्त डाईट प्राचार्य
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
पंजियक शिक्षा विभागीय परीक्षार्थें।

विषय— बालिका उपहार योजना के अर्न्तगत आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना।

संदर्भ— समसंख्यक पत्रांक दिनांक 04.11.19

हितकारी निधि माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के संदर्भित आदेश द्वारा बालिका विवाह उपहार योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अर्न्तगत प्राप्त प्रार्थना पत्रों में कतिपय नियमों को ध्यान में नहीं रखते हुए प्रार्थना-पत्र अप्रेषित किये जा रहे हैं, अतः समस्त आवेदक एवं अप्रेषण अधिकारी निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखकर ही आवेदन प्रेषित करें, इसके अभाव में प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।

1. आवेदन निर्धारित-प्रारूप में ही किया जावें।
2. विवाह की निर्धारित तिथि के दो माह के भीतर आवेदन किया जावें ना की विवाह तिथि के 3 से 6 माह पूर्व। इस बाबत पूर्ण ध्यान रखा जावें।
3. आवेदन पत्र के साथ अंशदान कटौती का शिड्यूल एवं ई0सी0एस0 की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें।
4. अपूर्ण आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।
5. विवाह हेतु मुद्रित कार्ड की मूल प्रति ही भिजवाई जावे ना की फोटो प्रति।
6. विज्ञापित जारी होने के दिनांक 04.11.19 से पूर्व के प्रकरणों पर नियमानुसार योजना लागू नहीं है।

क। 21-47
उप निदेशक (प्रशासन)
एवं सचिव हितकारी निधि,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षक संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
6. प्रधानाचार्य, सार्दूल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
7. पंजियक शिक्षा विभागीय परीक्षार्थें, बीकानेर।
8. संपादक शिविरा पत्रिका।
9. संयुक्त निदेशक कम्प्यूटर (कार्यालय हाजा) को विभागीय वेब-साईट एवं शालादर्पण/शालादर्शन पर अपलोड करने बाबत

क। 21-47
उप निदेशक (प्रशासन)
एवं सचिव हितकारी निधि,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर